



सर्वे संतु निरमयाः

कार्यालय अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001

FAX (O) - 07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030, 222302  
Website : www.cimsbilaspur.ac.in, email- [deancims@gmail.com](mailto:deancims@gmail.com)

क्रमांक. 12661 / अधि. / सिम्स / बिलासपुर / 16

दिनांक 02.11.16


संघोधित आदेश

(Hospital Blood Transfusion Committee)

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान से संबद्ध चिकित्सालय में संचालित रक्तकोष शाखा के समुचित व सुरक्षित संचालन हेतु कार्यालय आदेश क्र./7800/अधि./सिम्स/बिलासपुर/16 दिनांक 02.07.2016 द्वारा गठित रक्ताधान समिति (Hospital Blood Transfusion Committee) में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार समिति गठित किया जाता है : -

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. चिकित्सा अधीक्षक, सिम्स चिकित्सालय   | अध्यक्ष,    |
| 2. प्रभारी अधिकारी, रक्तकोष शाखा        | सदस्य सचिव, |
| 3. विभागाध्यक्ष, निश्चेतना विभाग        | सदस्य,      |
| 4. विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग           | सदस्य,      |
| 5. विभागाध्यक्ष, मेडिसीन विभाग          | सदस्य,      |
| 6. विभागाध्यक्ष, शिशुरोग विभाग          | सदस्य,      |
| 7. विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, | सदस्य,      |
| 8. नर्सिंग अधीक्षक, सिम्स चिकित्सालय    | सदस्य,      |

यह समिति रक्तकोष लाईसेंसिंग नियमों, एस.ओ.पी. एवं नाको गाईड लाईन, नेशनल ब्लड पॉलिसी एवं लाईसेंसिंग ऑथारिटी (ब्लड बैंक), भारत सरकार के नियमों के तहत अस्पताल में रक्ताधान किये जाने तथा रक्तकोष के कार्यों की समीक्षा करेगी। रक्ताधान एवं रक्तकोष के सुचारु संचालन पर अपनी सुझाव एवं प्रस्ताव अस्पताल प्रबंधन को प्रेषित करेगी, जिसे विधिवत् आदेश प्रसारित कर सिम्स चिकित्सालय में लागू किया जावेगा।

  
अधिष्ठाता 29.10.16  
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,  
बिलासपुर, छ.ग.